

फारम-VII-क
कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 304 तिथि- 21.12.2016 के संदर्भ में

मेसर्स आस्तिक विल्डकॉन प्रा0 लि0, डाईरेक्टर- अजय कुमार एवं अन्य, पता-दानापुर खगौल रोड पर, नियर संत कैरेन्स स्कूल, दानापुर, पटना-801503

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 3.0.4 प्लॉट नं0- 2069, 2085, 2086, 2087, 2088, खांता नं0- 182, 160, 166, 168, 181, तौजी नं0-5171, 5427, थाना नं0-30, मौजा- जमसौत, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-...../16-17 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 13167.11 वर्ग मीटर एवं B+G+8 की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1606.93 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 24.50 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि, 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निर्माण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शे में वर्णित सड़क चौड़ीकरण का भूपट्टी को छोड़कर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निर्माण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है।

(15) प्राधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोड़कर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया है तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेंगे।


(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।


(23) पब्लिक विल्डिंग में अंगग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।


(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर चाहर दिवारी का निर्माण करेंगे।



कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत







सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ...181.../दिनांक:- ...16/1/2017

प्रतिलिपि:- मेसर्स आस्तिक विल्डकॉन प्रा0 लि0, डाईरेक्टर- अजय कुमार एवं अन्य, पता-दानापुर खगौल रोड पर, नियर संत कैरेन्स स्कूल, दानापुर, पटना-801503 सूचनाार्थ प्रेषित।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



Handwritten notes and signatures on the left side of the drawing, including names like "Manoj Kumar" and dates like "12/11/17".

SP. CHICATION

1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT.

2. THE ARCHITECT IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED BY THE CLIENT OR FOR THE CONSEQUENCES OF ANY MISUSE OF THE DRAWING.

3. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A SURVEY OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING CONDITIONS OF THE SITE.

4. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A STRUCTURAL ANALYSIS OF THE EXISTING STRUCTURE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING STRUCTURAL CONDITIONS.

5. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A GEOTECHNICAL ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING GEOTECHNICAL CONDITIONS.

6. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A HYDROLOGICAL ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING HYDROLOGICAL CONDITIONS.

7. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A CLIMATE ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING CLIMATE CONDITIONS.

8. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A SOCIAL ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING SOCIAL CONDITIONS.

9. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A CULTURAL ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING CULTURAL CONDITIONS.

10. THE ARCHITECT HAS NOT CONDUCTED A HISTORICAL ANALYSIS OF THE SITE AND HAS NOT VERIFIED THE EXISTING HISTORICAL CONDITIONS.


FLOOR FINISHES

Room No.	Finish
101	...
102	...
103	...
104	...
105	...
106	...
107	...
108	...
109	...
110	...
111	...
112	...
113	...
114	...
115	...
116	...
117	...
118	...
119	...
120	...

02/06

Handwritten notes and signatures at the bottom of the drawing, including names like "Manoj Kumar" and dates like "12/11/17".

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFYING ALL DIMENSIONS ON THE SITE.



**BASEMENT FLOOR PLAN
(BLOCK-B)**

**GROUND FLOOR PLAN
(BLOCK-B)**

SPECIFICATION

1. ALL WORK SHALL BE DONE AS PER THE SPECIFICATION.
2. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFYING ALL DIMENSIONS ON THE SITE.
3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND APPROVALS.
4. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
5. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
6. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING WALLS AND FOUNDATIONS.
7. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.
8. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING SERVICES AND UTILITIES.
9. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING STRUCTURES AND UTILITIES.
10. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING LANDSCAPING AND TREES.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

NO.	TYPE	WIDTH	HT.	QTY.
1	D	1.07	2.10	17
2	W	0.90	2.10	20
3	W	0.90	2.10	20
4	W	0.90	2.10	20
5	W	0.90	2.10	20
6	W	0.90	2.10	20
7	W	0.90	2.10	20
8	W	0.90	2.10	20
9	W	0.90	2.10	20
10	W	0.90	2.10	20

PLOT DETAILS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF FIVE FLOORS WITH PLOT AREA OF 1177 SQ. M. OTHERS ON SURVEY PLOT NO. 2085, TAUZI-5171, 5427, 5456, KHATA NO.-162, 160, 166, 166, 181 AT MAUZA JAMSALU SURVEY THANA DANAPUR THANA SAHAPUR DIST. PATNA

DEVELOPERS
AASTIK BUILDCON PVT.LTD.

Architect
Manoj Kumar
Director

Engineer
Brijesh Kumar Sinha
Director

Structural Engineer
Manoj Kumar
Director

Bidder Form No. 1871

Project Name: AASTIK BUILDCON PVT.LTD.

Plot No.: 2085, TAUZI-5171, 5427, 5456, KHATA NO.-162, 160, 166, 166, 181 AT MAUZA JAMSALU SURVEY THANA DANAPUR THANA SAHAPUR DIST. PATNA

Site Area: 1177 SQ. M.

Plot Details: PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF FIVE FLOORS WITH PLOT AREA OF 1177 SQ. M. OTHERS ON SURVEY PLOT NO. 2085, TAUZI-5171, 5427, 5456, KHATA NO.-162, 160, 166, 166, 181 AT MAUZA JAMSALU SURVEY THANA DANAPUR THANA SAHAPUR DIST. PATNA

Contractor: AASTIK BUILDCON PVT.LTD.

Address: AASTIK BUILDCON PVT.LTD., SAHAPUR, PATNA, BIHAR.

Phone No.: 9855000000

Website: www.aastikbuildcon.com

Signature: Manoj Kumar

Date: 04/06

